

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिण निम्न नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 387 दिनांक 01/12/2020

श्री गौरी कृष्ण शर्मा द्वारा 510 श्री सुब्रह्मण्य

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

घात 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7100/- प्राप्त

जारीये रसीद संख्या 9069/3506, 3507

दिनांक 01/12/2020 को जमा की है ।

पं. 2/12/2020

सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम, जोधपुर

पृ. 1
आवासीय

गौरी कृष्ण